न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 216 / 2022

उनवान

1–5 कैलाश, मुकेश, लाली, सत्यनारायण, सांवरा पिता उगमा कुम्हार निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा
6– सोहनी पति उगमा कुम्हार निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा

– प्रार्थीगण

बनाम

1– भैरू पिता छोटू कुम्हार निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा
2– मदन पिता छोटू कुम्हार निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा
3– सत्यनारायण पिता रामस्वरूप झंवर(माहेश्वरी) निवासी कोठार मोहल्ला शाहपुरा
4– राजेन्द्र पिता रामस्वरूप झंवर(माहेश्वरी) निवासी कोठार मोहल्ला शाहपुरा
5– छीतर पिता भुवाना माली निवासी संतोषपुरा कादीसहना तहसील शाहपुरा
6– चन्दा पिता माधू मीणा निवासी मीणों का झूपड़ा कादीसहना तहसील शाहपुरा
7– जगरूप पिता भज्जा कुम्हार निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा
8– नानाराम पिता मांगीलाल तेली निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा
9– गुरूपाल सिंह पिता महिपालसिंह राणावत निवासी कोठार मोहल्ला शाहपुरा
10– शाखा प्रबंधक बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा शाहपुरा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– श्री योगेन्द्र सिंह भाटी
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 12.06.2023

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – ग्राम **कादीसहना पटवार हल्का कादीसहना** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 1759 रकबा 0.15 है0, 1959 रकबा 0.54 है0, 1933 रकबा 0.06 है0, 1934 रकबा 0.04 है0, 1935 रकबा 0.11 है0, 1936 रकबा 0.67 है0, 1937 रकबा 0.40 है0, 1961 रकबा 0.05 है0, 1962 रकबा 0.73 है0, 1963 रकबा 0.54 है0** कुल किता 10 रकबा **3.29** हैक्टेयर के प्रार्थीगण **संयुक्त खातेदार काश्तकार** है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। नियत पेशी दिनांक 3.8.2022 को विपक्षीगण सं0 3 लगायत 10 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त किन्तु बावजूद सूचना के कोई भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। विपक्षीगण सं0 1, 2 के सम्मन अदम तामिल लौटे। प्रकरण विपक्षीगण सं0 1, 2 की तलबी के नियत किया गया। नियत पेशी दिनांक 19.09.2022 को विपक्षीगण सं0 1,2 के सम्मन बाद / अदम तामिल नहीं लौटे। प्रकरण बईंतजार सम्मन विपक्षीगण सं0 1,2 के नियत किया गया। पेशी दिनांक 28.09.2022 को विपक्षीगण सं0 1, 2 के सम्मन तहसीलदार शाहपुरा द्वारा समयाभाव के कारण तामिल नहीं होने से बिना तामिल लौटाये गये। सम्मन में पेशी दिनांक तब्दील की जाकर वास्ते तामिल हेतु पुनः तहसीलदार शाहपुरा को भिजवाये गये। नियत पेशी दिनांक 15.11.2022 को विपक्षीगण सं0 1, 2 के सम्मन अदम तामिल लौटे अतः प्रकरण पुनः सही पता प्रोसेस सम्मन प्रस्तुत करने पर विपक्षीगण सं0 1, 2 की तलबी के नियत किया गया। नियत पेशी दिनांक 07.12.2023 को अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण सं0 1, 2 की तलबी हेतु प्रोसेस सम्मन प्रस्तुत किये गये। विपक्षीगण की तलबी की गयी। विपक्षी सं0 01 द्वारा सम्मन लेने से ईंकार किया गया। दिनांक 12.04.2023 को विपक्षी सं0 2 की तलबी हेतु पुनः प्रोसेस सम्मन प्रस्तत किया गया जिससे विपक्षी सं0 02 की तलबी की जाकर प्रकरण में पेशी दिनांक 19.04.2023 को नियत कि गयी। दिनांक 18.04.2023 से राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों की हड़ताल से पत्रावली हड़ताल के पश्चात दिनांक 05.06.2023 को प्रस्तुत हुई। प्रकरण का अवलोकन किया गया। विपक्षी सं0 1 द्वारा सम्मन लेने से इंकार किये जाने से विपक्षी सं0 01 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। एवं विपक्षी सं0 02 का सम्मन अदम तामिल प्राप्त होने से प्रकरण पुनः तलबी के नियत किया गया। नियत पेशी दिनांक 12.06.2023 को अभिभाषक सं0 02 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहने से विपक्षी सं0 02 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम कादीसहना पटवार हल्का कादीसहना संवत 2076 से 2079** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् **प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी में** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः **प्रार्थीगण** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **कादीसहना** में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त **संयुक्त खातेदारी** की आराजीयात् किता **10 रकबा 3.29 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 1300/– रूपये** कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **12.06.2023** को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)